

6. सकल परिसम्पत्ति का विवरण :

- नोट : 1 संयुक्त स्वामित्व के विस्तार को बताने हुए संयुक्त नाम में परिसम्पत्तियों को भी बताना होगा।  
 नोट : 2 यदि कोई धन जमा है या निवेश किया गया है तो उसका पूर्ण धौर जिसमें कम सख्या कुल राशि, जमा करने की तिथि, 2000 का नाम, बैंक अथवा वित्तीय संस्थान का नाम एवं उसके प्राप का नाम का उल्लेख किया जाएगा।  
 नोट : 3 स्टॉक मार्केट में सूचीबद्ध कम्पनी या गैर सूचीबद्ध कम्पनी का यदि कोई बॉन्ड या शेयर/डिविडेंडर खरीदा गया है तो स्टॉक एक्सचेंज की अद्यतन बाजार मूल्य को बताना होगा तथा गैर सूचीबद्ध कम्पनी के मामले में खातों के अनुसार बताना होगा।  
 नोट : 4 अधिकारी से अज्ञात नहीं है जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75A के Explanation (V) में वर्णित है।  
 नोट : 6 प्राचोक निवेश के संबंध में उसकी राशि सहित अलग अलग तथा पूर्ण धौर दिया जाना है।

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
i	नकद	20,000	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
ii	बैंक, वित्तीय संस्थानों, गैर वित्तीय संस्थानों में जमा धन राशि का धौर (FDR, STDR में उपरती जमा में बचत खाता में आदि)	5-8-13 में जमा नहीं 12000	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
iii	निवेश का धौर (बॉन्ड, शेयर, डिविडेंडर, मुद्रास्वत फंड तथा अन्य आदि)	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
iv	अन्य वित्तीय संस्थानों में निवेश जैसे N.S.S., Postal Saving बीमा बंकीरी, तथा अन्य इसी प्रकार का निवेश	LIC पॉलिसी एक लाख 1,00,000	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
v	Personal Loan या किसी अन्य व्यक्ति या संस्थान या ट्रस्ट या सोसाइटी को दिया गया लोन जो बाद में उससे प्राप्त किया जान है तथा उसकी राशि	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
vi	मोटर वाहन/वायुयान, पानी अथवा या नाव (कम्पनी, बैंक, निष्पन्न संस्था, खरीदने का रूप तथा उसका मूल्य आदि)	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
vii	गहने, मुद्रास्वत तथा अन्य संपत्ति (गार तथा अद्यतन बाजार मूल्य)	मौजुदा - 15,000 20,000 धौर 10,000	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
viii	अन्य परिसम्पत्तियों जैसे दावे (Claims) की सीमात/ ब्याज आदि।	धारे कुम्भाम 50,000	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
ix	Gross कुल मूल्य	2,41,000	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

7. अवसल परिसम्पत्तियों का विवरण :

- नोट : 1 संयुक्त स्वामित्व की सम्पत्ति में संयुक्त स्वामित्व के विस्तार का भी उल्लेख किया जाए।  
 नोट : 2 प्राचोक भूमि भवन अपार्टमेंट, प्लॉट आदि का धौर अलग-अलग दिया जाए।

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
i	भूमि भूमि, उसकी अवस्थिति तथा आकार, प्लॉट नंबर	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कुल सख्या (एकड़ में)	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्या पुरतनी सम्पत्ति है या स्वयं खरीदा गया है।	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

	यदि स्वयं खरीदा गया है तो खरीद की तारीख	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	यदि स्वयं खरीदा गया है तो खरीद के समय उसका मूल्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	उस जमीन पर कोई निर्माण जैसे निर्माण आदि	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
ii	गैर कृषि भूमि, अवस्थिति, खाता-फॉट नम्बर	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कुल रकबा (स्क्वायर फीट में)	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्या पुरानी परिसम्पत्ति है या स्वयं खरीदा गया है।	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	स्वयं खरीदा गया है तो खरीद की तारीख	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	खरीद के समय उसका मूल्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	उस जमीन पर कोई निर्माण जैसे निर्माण आदि	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
iii	व्यवसायिक भवन (अपार्टमेंट, फ्लैट तथा उसकी अवस्थिति)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कुल रकबा (स्क्वायर फीट में)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	Built-up Area का रकबा (स्क्वायर फीट में)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्या पुरानी परिसम्पत्ति है	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	यदि स्वयं खरीदा गया है तो खरीद की तिथि	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	खरीद के समय परिसम्पत्ति का मूल्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	उस परिसम्पत्ति को विकसित करने में कोई निर्माण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य *	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
iv	भवन (अपार्टमेंट, फ्लैट आदि तथा उसकी अवस्थिति एवं खाता-फॉट नम्बर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं



2. आर्केवाइव वितीय संस्थानों और सरकारी देनदारियों / बकाया

नोट: कृपया प्रत्येक बैंक, वितीय संस्थान, व्यक्तिगत देनदारी तथा सन्निहित राशि का अलग-अलग धारा दें।

क्रम संख्या	विवरण	रकम	पति/पत्नी	वर्ग-1	वर्ग-2	वर्ग-3
i	बैंक या वितीय संस्थान का ऋण (बैंक / वितीय संस्थान का नाम, ऋण की प्रकृति तथा ऋण की कुल राशि)	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अन्य व्यक्तियों या संस्थानों की देनदारी (नाम, ऋण का प्रकृति तथा कुल राशि)	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कोई अन्य देनदारी	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	सभी देनदारियों/ऋण की कुल राशि	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
ii	सरकारी देयता अकाउंट क	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

लिए देयता तथा विभाग का नाम	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
जलापूर्ति के लिए देयता तथा विभाग का नाम	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
बिजली के लिए देयता तथा विभाग का नाम	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
परिवहन/वाहन के लिए देयता तथा विभाग का नाम	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
आयकर देयता	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
सम्पत्ति कर देयता	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
सेवाकर देयता	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
नगरपालिका के कर की देयता	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
बिक्री कर की देयता	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कोई अन्य देयता	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
सभी प्रकार की सरकारी देयता की कुल राशि	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कोई अन्य देयता जिसमें विवाद हो (पूरी राशि तथा प्राधिकारी का नाम जहाँ विवाद लम्बित है)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

9. पैसा एवं व्यवसाय का पूर्ण खाता :

(क) स्वयं गृहणी

(ख) पत्नी/पति लागू नहीं

10. नैसर्गिक योग्यता निम्नलिखित है :-

साक्षर

जहाँ एक/दो/तीनों/संस्थान का नाम/सिस्टीम/सिस्टीम/संस्था का नाम जित्त वहाँ आ जहाँ पूरा किया गया था सत्यता में पूरा नाम दिया।



अभिसाक्षी

राधा देवी झा

सत्यापन

मैं उपर्युक्त नाम का अभिसाक्षी, इसके द्वारा सत्यापित करता हूँ और यह घोषणा करता हूँ कि इस सत्य पत्र की विषय वस्तु मेरे विश्वास और जागरूकता में सत्य और सही है और इसका कोई भी भाग गलत नहीं है तथा कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि -  
 (क) मैं किसी भी मामले में त्रुटिग्रस्त नहीं हूँ और न ही कोई मामला मेरे विरुद्ध लम्बित है सिवाय काण्डिका 6 के।  
 (ख) मेरे या मेरी पत्नी या मेरे अभिभावकों के उपर कोई भी देनदारी या देयता का ऋण नहीं है सिवाय काण्डिका 7 के।  
 (ग) मेरे या मेरी पत्नी या मेरे अभिभावकों का पास और कोई परिसम्पत्ति नहीं है सिवाय काण्डिका-6 के।

वर्ष 2015 के 5-7 दिन को देरघट स्थान पर सत्यापित किया।

राधा देवी झा

deponent is identified by me  
and he put his her  
signature in my presence  
I am not a neighbor  
# 7/5/15

राधा देवी झा

शपथकर्ता

अभिसाक्षी

नोट 1: सत्य पत्र पर सभी Commissioner या प्रमाण देने के लक्ष्यकर्ता को नोटरी पब्लिक के समक्ष लिये जाना है।

नोट 2: सभी कलमों में पूरा होने चाहिए तथा कोई भी कलम खाली नहीं होना चाहिए। यदि किसी पर नोटरी करने के लिए कोई सूचना नहीं है तो उसे खाली छोड़ना चाहिए।

NOTARY DEOGHAR

प्रपत्र - 6  
(नियम 37 देखिये)

172

नगरपालिका निर्वाचन  
शहरी स्थानीय निकाय  
1.37  
8.5.15

नाम निर्देशन-पत्र

स्थान देवघर शहरीस्थानीय निकाय VIII देवघर  
 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 30 से देवघर नगर विगम वार्ड पार्षद / सर्वस  
 निर्वाचन क्षेत्र संख्या लाम्गा नदी से लाम्गा नदी गठ/वि/उ/प्र/क्ष के लिये निर्वाचन;  
 में उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र के उपर्युक्त पद के लिये निम्नलिखित कः उपर्युक्त के रूप में नाम निर्दिष्ट  
 करता/करती हूँ।  
 अभ्यर्थी का नाम राधा देवी व्यास  
 पिता/माता/पति का नाम श्रीकृष्ण व्यास  
 डाक पता पुत्रावाशमी रोड हरिजन मैदान जिला देवघर जः नगरपालिका देवघर नगर विगम  
 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 30 की मतदाता सूची में क्रमांक 609 भाग संख्या 30/15 पर प्रविष्ट  
 है।  
 मेश नाम श्री कृष्ण व्यास है जो जिला देवघर नगरपालिका देवघर नगर विगम  
 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 30 की मतदाता सूची में क्रमांक 615 भाग संख्या 30/15 पर  
 प्रविष्ट है।  
 स्थान देवघर  
 तारीख 8/5/2015  
 प्रस्तावक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान  
Dankumar vyas

में उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र के उपर्युक्त पद के लिये निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट के प्रस्ताव का  
 समर्थन करता/करती हूँ।  
 अभ्यर्थी का नाम राधा देवी व्यास  
 पिता/माता/पति का नाम श्रीकृष्ण व्यास  
 डाक पता पुत्रावाशमी रोड, हरिजन मैदान जिला देवघर  
 जो नगरपालिका VIII देवघर/01 देवघर नगर विगम के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 30 की मतदाता सूची  
 में क्रमांक 609 भाग संख्या 30/15 पर प्रविष्ट है।  
 मेश नाम चुन्नु प्रसाद व्यास है जो जिला देवघर नगरपालिका देवघर नगर विगम के प्रादेशिक  
 निर्वाचन क्षेत्र संख्या 30 की मतदाता सूची में क्रमांक 603 भाग संख्या 30/15 पर प्रविष्ट है।  
 स्थान देवघर  
 तारीख 8/5/2015  
 समर्थक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान  
Chunnu pd. sh  
Chunnu pd. sh

\* जो लाम्गा नदी हो उसे काट दें।  
 मैं ऊपर नामित अभ्यर्थी इस नाम निर्देशन के लिए अपनी सहमति देता/ देती हूँ और एताद द्वारा घोषणा  
 करता/ करती हूँ कि:-  
 (क) मैंने 63 वर्ष की आयु पूरी कर ली है।  
 (ख) मेश नाम तथा मेरे पिता/माता/पति का नाम ऊपर देवनागरी लिपि में हिन्दी में सही लिखा गया  
 है।

- (ग) मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार मैं उपयुक्त निर्वाचन के लिये अर्हित हूँ और अन्यथा अनर्हित भी नहीं हूँ।
- (घ) मैं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग का होने का दावा करता / करती हूँ तथा सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण-पत्र इसके साथ संलग्न है।

स्थान देवरस

तारीख 8/5/2015

राधा देवी व्यास

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशानह

(निर्वाची पदाधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

नाम निर्देशन-पत्र का क्रमांक 172

यह नाम निर्देशन मुझे मेरे कार्यालय में तारीख 08/05/2015 को 1:37 pm (बजे) अभ्यर्थी/ प्रस्तावक द्वारा परिदत्त किया गया।

तारीख 08/05/2015

08/05/15  
निर्वाची पदाधिकारी

नाम निर्देशन-पत्र को स्वीकृत या अस्वीकृत करने वाले निर्वाची पदाधिकारी का विनिश्चय

मैंने इस नाम निर्देशन पत्र का परीक्षण झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2012, के नियम 37.क अनुसार कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ -

तारीख 08/05/2015

समय 1:37 pm

08/05/15  
निर्वाची पदाधिकारी का  
(नाम, हस्ताक्षर व मुहर) 16

जीवित है तथा जिनके नाम निम्न प्रकार है -

(यदि कोई संतान गोद दी गई है तो उसका भी उल्लेख करें)

नाम	जन्म तिथि
(i) शिव कुमार व्यास	5/12/1970
(ii) काशीनाथ व्यास	10/7/1978
(iii) विश्वनाथ व्यास	8/4/1985
(iv) आशा कुशीक्षित	5/6/1995
(v) लागू नहीं	लागू नहीं



परिसिद्ध-VIII  
(अध्याय 5 कण्डिका 5.18)  
(प्रपत्र 24 संशोधित)

नाम निर्देशन पत्र के साथ अभ्यर्था द्वारा निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र

File No. 2291  
Date 07.05.2015



श. राधा देवी व्यास पति/पति श्रीकृष्ण व्यास उम्र 63 वर्ष 8.01.5  
01 वैभव नगर विग्रह नगर निगम/ नगर परिषद/ नगर पंचायत के वार्ड संख्या 30 मुकला हरिजन कौतवी फास्ट जर्सी डीई  
घाना फास्ट जर्सी डीई जिला देवघर झारखण्ड का निवासी है तथा उपरोक्त निर्वाचन में सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिष्ठा  
और निम्न प्रकार से शपथ लेता है कि :-

1. मैं अपना नाम निर्देशन पत्र नगर निगम/ नगर परिषद/ नगर पंचायत के वार्ड संख्या 30 से पार्षद/ महापौर/ अध्यक्ष पद के निर्वाचन हेतु दाखिल कर रहा हूँ/ रही हूँ।
2. मेरा नाम नगर निगम/ नगर परिषद/ नगर पंचायत 01 वैभव नगर विग्रह के वार्ड संख्या 30 की मतदाता सूची के क्रमांक पर दर्ज है तथा इसके अलावे नगरपालिका के किसी अन्य वार्ड की मतदाता सूची में मेरा नाम दर्ज नहीं है। यह भी कि राज्य या राज्य-बाहर के अन्य किसी नगर निगम/ नगर परिषद/ नगर पंचायत या ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में मेरा नाम दर्ज नहीं है।
3. मेरा सम्पर्क दूरभाष नम्बर 9155861877 है, तथा ईमेल आईडी (यदि कोई हो तो) लागू नहीं है।
4. Permanent Account Number (PAN) तथा Income Tax दाखिल करने की स्थिति निम्नवत् है :

क्रम संख्या	नाम	PAN	वित्तीय वर्ष जिसमें अंतिम आयकर रिटर्न दाखिल किया गया है।	आयकर रिटर्न में दिखाया गया कुल आय (रुपये में)
1	श. राधा देवी व्यास	रु.म	लागू नहीं	लागू नहीं
2	पति/पति श्रीकृष्ण व्यास	रु.म	लागू नहीं	लागू नहीं
3	आश्रित-1 लागू नहीं	रु.म	लागू नहीं	लागू नहीं
4	आश्रित-2 लागू नहीं	रु.म	लागू नहीं	लागू नहीं
5*	आश्रित-3 लागू नहीं	रु.म	लागू नहीं	लागू नहीं

5. अपराधिक मामलों का विवरण :  
मैं किसी अपराध के लिए आरोपित हूँ/ आरोपित नहीं हूँ जिसमें दो साल या अधिक का कारावास का प्रावधान है तथा मुकदमा/ मुकदमों लम्बित हैं जिसमें सक्षम न्यायालय द्वारा आरोप गठित किए जा चुके हैं।  
यदि अपराधकर्ता ऐसे किसी अपराध का दोषी है तो वह निम्नोक्त सूचनाएँ उपलब्ध कराएंगे :

(i) मेरे विरुद्ध निम्नोक्त मामले लम्बित हैं जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास का प्रावधान है तथा सक्षम न्यायालय में मेरे विरुद्ध आरोप गठित हो चुका है :

A	प्राथमिकी संख्या (याना, जिला, राज्य का नाम एवं पूर्ण व्यक्ति)	लागू नहीं
B	संबंधित कानून की धारा जिसके तहत आरोपित है, का संक्षिप्त ब्यौरा	लागू नहीं
C	न्यायालय का नाम, केस नम्बर तथा न्यायालय द्वारा सजाएँ लिए जाने की तिथि	लागू नहीं
D	न्यायालय का नाम जहाँ आरोप गठित हुआ है	लागू नहीं



E	आरोप पठित होने की तिथि / तिथियाँ	लागू नहीं
F	क्या किसी स्थान न्यायालय ने सभी या किसी कार्यवाही को stay करने का आदेश दिया है।	लागू नहीं

(ii) निम्नांकित मामला / मामले मेरे विरुद्ध दायित्व है जिसमें न्यायालय ने संज्ञान ले लिया है (उपर अंकित करिहका (i) का प्रत्यक्ष)

A	न्यायालय का नाम, जेंस नम्बर तथा संज्ञान लेने की तिथि	लागू नहीं
B	उन अधिनियमों, धाराओं तथा अनुच्छेदों का पूर्ण ब्यौरा जिसमें न्यायालय ने संज्ञान लिया है	लागू नहीं
C	अपील या रीविजन की तिथि, यदि उक्त आदेश के विरुद्ध दायित्व दायित्व किया गया है	लागू नहीं
D	क्या अपील या रीविजन के विवरण के दौरान कोई जमानता दिया गया है	लागू नहीं
E	यदि हाँ, तो जमानता पर मुक्त रहने की अवधि	लागू नहीं

(iii) क्या आप देश के भीतर या बाहर किसी न्यायालय द्वारा राजनीतिक अवस्था से निम्न, किसी अपराध के लिए छ माफ से अधिक को माफ़ लिए सभी कारावास या अर्थ दण्ड से दक्षिण किए गए हैं,

(क) यदि हाँ, तो निम्न विवरण अंकित करें:

A	न्यायालय का नाम जिसके द्वारा दण्डित किए गए हैं	लागू नहीं
B	दण्डित किए जाने की तिथि तथा जेंस नम्बर	लागू नहीं
C	किए गए अपराध की प्रकृति (अधिनियम एवं धाराओं का विवरण सहित)	लागू नहीं
D	दिया गया दण्ड	लागू नहीं
E	कारावास में रहने की अवधि (यदि कोई हो तो)	लागू नहीं
F	कारावास से मुक्त होने की तिथि	लागू नहीं

(ख) उपरोक्त दण्डादेश के विरुद्ध कोई अपील / रीविजन आयेदन पर दायित्व किया गया है या नहीं

A	अपील साध्य / रीविजन साध्य का विवरण	लागू नहीं
B	न्यायालय का नाम जिसके समक्ष अपील / रीविजन आयेदन पर दायित्व किया गया है	लागू नहीं
C	क्या दायित्व अपील / रीविजन पर निष्पादित हो चुका है या लम्बित है	लागू नहीं
D	यदि निष्पादित है तो निष्पादन की तिथि तथा धरित आदेश का संक्षिप्त ब्यौरा	लागू नहीं
E	क्या अपील / रीविजन के विवरण के दौरान कोई जमानता दिया गया	लागू नहीं
F	यदि हाँ, तो जमानता पर मुक्त रहने की अवधि	लागू नहीं

(ग) क्या आप किसी न्यायालय में किसी अपराध में दोषमुक्त (acquittal) या उन्मोचित (discharge) किए गए हैं यदि हाँ, तो ब्यौरा दें :-

A	न्यायालय जिसके द्वारा दोष मुक्त किए गए हैं	लागू नहीं
B	आरोप की प्रकृति एवं जेंस नम्बर (अधिनियम एवं धारा का उल्लेख करें)	लागू नहीं

(घ) क्या देश के भीतर किसी राजनीतिक पक्ष के निम्न किसी अपराध के लिए न्यायालय ने IPC या दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के कोई आदेश धरित किया है, यदि हाँ तो निम्न ब्यौरा दें :-

A	क्या Cr.P.C. की धारा 109 या धारा 110 के तहत अर्धे व्यवहार के लिए का पत्र देने का आदेश दिया गया है	लागू नहीं
B	यदि हाँ, तो जेंस नम्बर एवं तिथि तथा न्यायालय का नाम	लागू नहीं
C	क्या ऐसा दण्डादेश या आदेश बाद में उलट हो नहीं दिया गया है	लागू नहीं
D	क्या किसी अपराधिक कार्य का उन्मोचित होने के कारण छ माफ से अधिक समय से फरार है	लागू नहीं